



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 186 / फा0सं0-225 / कार्य0परि0 / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2024-25

दिनांक :0] मई, 2024

// कार्यालय आदेश //

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 15.06.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने के लिए शासनादेश निर्गत किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश 15.06.2021 के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-18133/65-3-2022, दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2021 में वर्णित प्राविधानों के आलोक में न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम के अनुसार संकायों के पुनर्गठन की कार्यवाही किये जाने पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 एवं मा0 कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 07.11.2022 में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय सृजित विभिन्न संकायों/विभागों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है-

I.	भाषा संकाय (Faculty of Languages)
1.	हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा (Hindi & Other Indian Languages)
2.	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा (English & Other Foreign Languages)
II.	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Arts, Humanities & Social Science)
1.	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग (History and Archeology Department)
2.	राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग (Political Science and Public Administration Department)
3.	समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग (Sociology/Social Science Department)
4.	समाज कार्य विभाग (Social Work Department)
5.	अर्थशास्त्र विभाग (Economics Department)
6.	दर्शनशास्त्र विभाग (Philosophy Department)
7.	पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Library Science Department)
8.	भूगोल विभाग (Geography Department)
9.	मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग (Psychology and Anthropology Department)
III.	विधि संकाय (Faculty of Law)
1.	विधि विभाग (Law Department)
IV.	विज्ञान संकाय (Faculty of Science)
1.	वनस्पति विज्ञान विभाग (Botany Department)
2.	जीव विज्ञान विभाग (Life Science Department)
3.	रसायन विज्ञान विभाग (Chemistry Department)
4.	भौतिक विज्ञान विभाग (Physics Department)
5.	गणित एवं सांख्यिकी (Mathematics and Statistics Department)
6.	जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग (Biotechnology Department)
7.	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (Microbiology Department)
8.	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग (Computer Science Department)
9.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Information Technology Department)



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

- 2 -

V.	वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)
1.	वाणिज्य विभाग (Commerce Department)
2.	प्रबन्धनशास्त्र विभाग (Management Department)
VI.	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय (Faculty of Fine Arts and Performing Arts)
1.	ललित कला विभाग (Fine Arts Department)
2.	संगीत विभाग (Music Department)
VII.	पैरामेडिकल रिहैबिलिटेशन साइन्सेज (Faculty of Para-Medical Rehabilitation Sciences)
1.	प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स विभाग (Department of Prosthetics and Orthotics)
2.	आडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विभाग (Department of Audiology and Speech Language Pathology)
3.	कालेज फॉर डेफ (College For Deaf)
VIII.	विशेष शिक्षा संकाय (Faculty of Special Education)
1.	श्रवण बाधितार्थ विभाग (Hearing Impairment Department) (पी०डी०सी०डी०) (Pre-Degree Certificate for Deaf Students))
2.	बौद्धिक अक्षमता विभाग (Intellectual Disability Department)
3.	दृष्टि बाधितार्थ विभाग (Visual Impairment Department)
4.	पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग (Rehabilitation and Multiple Disabilities Department)
5.	शिक्षाशास्त्र विभाग (Education Department)

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

(प्रो हिमांशु शेखर झा)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ० प्र० शासन।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
6. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
7. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव